

2026/31

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय
06.2.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
ओमप्रकाश
बनाम
पुरखाराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 17 वर्ष 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
09.01.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.01.2026 को पेश हो।	
23.01.2026	बाद पत्र का कार्य न्यायालय में प्रद किया गया। पुनर्वाद दिनांक 29.1.2026 को पेश हो।	
29.1.2026	वकुलार फरिक्तेन उपरिक्त) वरि वरुक्की वरि अरु वरु के दाखिल अहवाल अन्तर शरीनामा पेश किया जिसे काउ तन्कीक शाखिल कारील किया गया। प्रमाणों वास्ते क्लेर जकाश आईन्दा दिनांक 30.1.2026 को पेश हो।	ओमप्रकाश श्री प्रखाराम मादराक g.bym वकील वादी रमेश कुमार शर्मा एड.
30.1.2026	वकुलार फरिक्तेन उपरिक्त) वरि वरुक्की वरि अरु वरु के दाखिल अहवाल अन्तर शरीनामा पेश किया जिसे काउ तन्कीक शाखिल कारील किया गया। प्रमाणों वास्ते क्लेर जकाश आईन्दा दिनांक 06-2-2026 को पेश हो।	Ramesh Kumar Sharma
06.02.2026	वकुलार फरिक्तेन उपरिक्त) क्लेर जकाश वास्ते उक्त वरुक्की सुनी गरी। प्रमाणों का अवलोकन किया गया। प्रमाणों पर उपलब्ध रिपोर्ट व वरि वरुक्की के शरीनामा के अहवाल पर वाद वरि डिब्टी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखपा जाकर शाखिल कारील किया जाये। प्रमाणों नम्बर के काम भी जाकर काउ तन्कीक तन्कीक जाल्द दाखिल हफ्त हो।	

9.1.2026

